नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील/37/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

प्रेमसिंह पुत्र हरीसिंह जाति लोधा निवासी खेरिया बिल्लोच तहसील रूपवास जिला भरतपुर

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर

........रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.04.19 मिसिल नम्बर 05/18 उनवानी राज0 रिपोर्ट पटवारी हल्का मिल्सवा बनाम प्रेमसिंह अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित :-
1-श्री गोविन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,
2-राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 27.10.2020**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 09.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून है जो काविल निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 8.17 बीघा आवादी क्षेत्र में स्थित है इसलिये पटवारी हल्का को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। आवादी क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती है और उसके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही ग्राम पंचायत ही कर सकती है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 8.17 बीघा में किसी रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 592 दिनाक 01.09.2011 एवं 14.11.2011 को जरिये बयानामा खातेदार भीमसिंह पुत्र गोरधन जाति काछी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निवासी खेरिया विलोच्च तहसील रूपवास एवं बाबूलाल व रामहेत पिसरान देवीसिंह और दरोगा व महेन्द्र सिंह पिसरान बीरीसिंह निवासी खेरिया विलोच्च तहसील रूपवास से क्रय की थी। पटवारी हल्का की समस्त कार्यवाही गैर कानूनी एवं मौके खिलाफ है। मौके पर अपीलान्ट स्वयं आराजी कम है यदि न्यायहित में राजस्व टीम द्वारा मौके की पैमाईश कराई जावें तो सही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अपीलान्ट ने आ0ख0न0 592/01–02 के 2/3 भाग की भूमि व इसी ख0न0 में से 1/3 भग का बयनामा क्रमशः दिनांक 01.01.2011 व 14.11.2011 को तहरीर करवाया है। ख0न0 592 की कुल भूमि 01–02 का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार काबिज है। अपीलान्ट की स्वयं की आराजी में गेहूँ की फसल थी पटवारी ने बिना किसी आधार के दूसरे लोगों के उकसावें में आकर अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के खेत के पास स्थित रास्ते की चौडाई भी अंकित नहीं की है जो कि 30 फुट है जिससे किसी को भी आवागमन में कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है। गांव के रास्ते एवं पगड्डी जो पूर्वजो के समय से ही चले आ रह है आज भी उसी स्थिति में मौजूद है इसलिये अपीलान्ट द्वारा किसी भी जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि उच्च अधिकारियों की गिरदावरी में मौके की सही पेमाईश कराई जावें तो स्पष्ट हो जावेगा कि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के विरोधियों एवं उससे रजिश रखने वाले व्यक्तियों जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है के द्वारा की गई गलत शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध यह कार्यवाही बिना किसी आधार के की है जबकि अपीलान्ट एक गरीब एवं अशिक्षित और सीधा साधा व्यक्ति है। वास्तविक अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति जो कि प्रभावशाली और लठैत है के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अदालत तहत द्वारा आदेश दिनांक 09.04.2019 अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना अपीलान्ट को सूचित व बिना नोटिस दिये ही जारी किया था। दिनांक 09.05.2019 को हल्का पटवारी द्वारा धमकी देने कि वह अपीलान्ट को उसकी आराजी से बेदखल करेगा तो अपीलान्ट को अदालत तहत के आदेश दिनांक 09.04.2019 की जानकारी हुई जानकारी होने पर अपीलान्ट ने नकल हेतु दिनांक 10.05.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को नकल दिनांक 17.05.2019 को प्राप्त हुई। होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी देरी को कण्डोन करने के लिये धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिना पैमाईश और क्षेत्राधिकार से बाहर की गई कार्यवाही खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है जो काविल मंसूखी है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

2. यह कि लायक अदालत तहत ने द्वारा ...

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार रूपवास से तहत पत्रावली प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट का मकान आराजी खसरा नम्बर 592 पर बना हुआ है जो जरिये बयनामा क्रय किया गया है। खसरा नम्बर 594 गैर मुमकिन रास्ता है जिसमें रास्ता निकाला हुआ और आवागमन जारी है। खसरा नम्बर 594 पर वर्ष 2003–2004 में ग्राम पंचायत मिल्सवां ने 12 फुट चौडे खरंजा का निर्माण कराया है। अपीलान्ट के द्वारा खसरा नम्बर 594 पर अतिक्रमण नहीं किया है। तहत न्यायालय ने बिना पैमाईश किये एवं हल्का पटवारी के बिना बयान लिये तथा अपीलान्ट को जिरह करने का मौका दिये बगैर निर्णय पारित किया है। वकील अपीलान्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.आर.डी. 1996 पेज 525, आर.आर.डी. 1989 पेज 269, आर.आर.डी. एन.यू.सी. पेज 66 एवं डी.एन.जे. राज. 2011 (3) पेज 1052 उद्धरित की गई। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय ने बिना पैमाईश कराये एवं हल्का पटवारी के बिना बयान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कराये तथा अपीलान्ट को जिरह का मौका दिये बगैर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर वर्ष 2003–2004 में ग्राम पंचायत मिल्संवा ने 12 फुट चौडे खरंजा का भी निर्माण कराया है जिसके बाबत ग्राम पंचायत मिल्संवा का प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां वकील अपीलान्ट ने फार्म नम्बर 3 के साथ वक्त सुनवाई प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार रूपवास को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये तथा प्रकरण में जांच एवं पैमाईश कराकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर